खंड 2 अंक 6 जनवरी 2020

1945 से राष्ट्र सेवा में समर्पित

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

विषय-वस्तु

- अटल भूजल योजना का शुभारंभ
- हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना
- परियोजना की स्वीकृति
- पोलावरम परियोजना का दौरा
- वर्ष 2019 के दौरान बाढ़ पूर्वानुमान
- झेलम नदी पर बाढ़ प्रबंधन कार्य
- कर्नाटक में तटीय संरक्षण कार्य
- अध्यक्ष, के.ज.आ का उत्तराखंड दौरा
- डीआरआईपी (DRIP)
- के.ज.आ के प्रकाशनों का विमोचन
- राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना
- परियोजना प्रबोधन
- समाचार में जल क्षेत्र
- हाइड्रो -2019
- दीर्घा(गैलरी)
- इतिहास

आर.के. जैन
अध्यक्ष,के.ज.आ

संदेश

जल क्षेत्र पर प्रभावी ध्यान जारी रखते हुए, माननीय प्रधान मंत्री ने दिनांक 25-12-2019 को अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया, जिसमें पंचायत के नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन को प्रोत्साहित करने और जल की मांग प्रबंधन पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ व्यवहार परिवर्तन की परिकल्पना की गई है. उद्घाटन समारोह के दौरान जल जीवन मिशन से संबंधित एक दिशानिर्देश भी जारी किया गया.

वर्ष 2019 में देश में जल अभिशासन और कार्यक्रमों के संबंध में कई पहलें देखी गईं जैसे कि पूर्ववर्ती पेयजल एवं स्वछता मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, को एक ही साथ एकल जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत सम्मिलन, राष्ट्रव्यापी जल शक्ति अभियान, महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल नीति -2012 को संशोधित करने की पहल इत्यादि. बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (ड्रिप) की सफलता और उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने अधिक राज्यों तथा बांधों को शामिल करते हुए ड्रिप के अगले चरण की शुरुआत की है. राज्य स्तर पर भी जल क्षेत्र में विभिन्न पहल देखने को मिली है.

जल क्षेत्र से संबंधित प्रमुख विधेयकों जैसे बांध सुरक्षा विधेयक और अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 पर संसद में महत्वपूर्ण बहस हुई. पहला विधेयक उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव के माध्यम से बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं को रोकने और कम करने की परिकल्पना करता है , जबकि दूसरा विधेयक स्थायी संस्थान एवं अवसंरचना के साथ एक स्थायी अधिकरण(कई बेंचों सहित) उपलब्ध कराने की परिकल्पना करता है ताकि प्रत्येक जल विवाद के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल स्थापित करने की आवश्यकता न पड़े जो कि समय लेने वाली प्रक्रिया है. दोनों विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कर दिए गए थे और राज्य सभा में लाए जाने हैं.

मानसून के मौसम में होने वाली भारी वर्षा ने देश के प्रमुख जलाशयों को उनकी भंडारण क्षमता के लगभग 80% तक भर दिया है. भंडारण का यह स्तर पिछले 10 वर्षों के औसत भंडारण से 40% अधिक है जिसके परिणामस्वरूप रबी फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है और वर्ष में बहुत अच्छे कृषि उत्पादन होने की उम्मीद है. हालाँकि, वर्षा की मौसमी और स्थानिक परिवर्तनशीलता और अधिक जल-संचय की आवश्यकता इस तथ्य से उजागर होती है कि एक राज्य राजस्थान में, बाढ़ के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय केंद्रीय दल ने अक्टूबर माह के दौरान राज्य का दौरा किया और सूखे के आकलन के लिए इसी तरह के एक दल ने दिसंबर में राज्य का दौरा किया.

वर्ष 2019 के दौरान भारत में अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन, 6 वें भारत जल सप्ताह और दूसरे सतत जल प्रबंधन सम्मेलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई, जिसने विश्व भर से सर्वोत्तम तरीकों को साझा करने और जल क्षेत्र में भारतीय नीति और कार्यक्रमों के मार्गदर्शन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया. के.ज.आ. ने इन सभी कार्यक्रमों के आयोजन और भागीदारी में सक्रिय भूमिका निभाई.

दिसंबर 2019 के दौरान, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं पर जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ,जल शक्ति मंत्रालय की सलाहकार समिति की 143 वीं बैठक दिनांक 09.12.2019 को सचिव, जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी. इस समिति द्वारा पांच राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित दस योजनाएं, जिनकी अनुमानित लागत 14688 करोड़ रुपये है, स्वीकृत की गई .

मैं आप सभी के लिए बहुत ही खुशहाल, समृद्धि एवं स्वास्थ्य से परिपूर्ण नववर्ष 2020 की शुभकामनाएं देता हूं.

राजेन्द्र

अटल भूजल योजना का शुभारंभ

अटल भूजल योजना (अटल जल) का शुभारंभ और जल जीवन मिशन के लिए दिशानिर्देश जारी

दिनांक 25-12-2019 को, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अटल भूजल योजना (अटल जल) का शुभारंभ किया. अन्य परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ, इस अवसर पर जल जीवन मिशन से संबंधित एक दिशानिर्देश भी जारी किया गया.

प्रधान मंत्री ने कहा कि यह जल संकट हमारे लिए एक परिवार के रूप में, एक नागरिक के रूप में चिंताजनक है और यह देश के विकास को भी प्रभावित करता है. नए भारत को जल संकट की हर स्थिति से उबरने के लिए खुद को तैयार करना होगा. इसके लिए हम पांच स्तरों पर एक साथ काम कर रहे हैं. प्रधान मंत्री ने जोर देकर कहा कि जल शक्ति मंत्रालय ने पानी को बंटे हुये दृष्टिकोण से मुक्त किया और एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण पर ध्यान दिया है. इस मानसून में, हमने देखा है कि समाज और जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल संरक्षण के लिए कितने व्यापक प्रयास किए गए हैं. उन्होंने कहा कि एक ओर, जल जीवन मिशन, हर घर तक पाइप से जलापूर्ति पहुँचाने की दिशा में काम करेगा, और दूसरी ओर अटल भूजल योजना, उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगा जहाँ भूजल स्तर बहुत नीचे है.

प्रधान मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पानी से संबंधित योजनाओं को हर गांव के स्तर पर उनकी स्थिति के अनुसार बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के दिशानिर्देशों को बनाते हुए इस पर ध्यान दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अगले 5 वर्षों में पानी से संबंधित योजनाओं पर 3.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करेंगी. उन्होंने प्रत्येक गाँववासियों से जल कार्य योजना और जल निधि बनाने का अनुरोध किया. जहां भूजल स्तर बहुत नीचे है वहां किसानों को पानी का बजट बनाना चाहिए.

अटल भूजल योजना (अटल जल)

अटल जल को सहभागी भूजल प्रबंधन हेतु संस्थागत ढांचे को मजबूत करने और सात राज्यों अर्थात गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में स्थायी भूजल संसाधन प्रबंधन और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार में परिवर्तन लाने के प्रमुख उद्देश्य के साथ डिजाइन किया गया है. इस योजना के कार्यान्वयन से इन राज्यों के 78 जिलों की लगभग 8350 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलने की उम्मीद है. अटल जल , पंचायत के नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन और जल की मांग प्रबंधन पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ व्यवहार में परिवर्तन करने को बढ़ावा देगा.

5 वर्षों में (2020-21 से 2024-25 तक) कार्यान्वयन किए जाने वाले रु 6000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से 50 % विश्व बैंक के ऋण के रूप में होगा और यह केंद्र सरकार द्वारा चुकाया जाएगा. शेष 50% नियमित बजटीय सहायता से केंद्रीय सहायता के माध्यम से प्रदान किया जाएगा. विश्व बैंक के संपूर्ण ऋण घटक और केंद्रीय सहायता को अनुदान के रूप में राज्यों को दिया जाएगा.

जल जीवन मिशन

लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अब बस्ती के बजाय पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के केंद्र -बिंदु ग्रामीण घर होंगे. तदनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया है और इसे जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाया गया है. जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में कार्यपरक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रतिदिन 55 लीटर प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें कुल खर्च रु 3.60 लाख करोड़ रुपये एवं केंद्रीय हिस्सेदारी रु 2.08 लाख करोड़ होगी. 01.04.2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 17.87 करोड़ ग्रामीण घर हैं और लगभग 14.6 करोड़ , जो कि 81.67% हैं उन्हें अभी घरेलू नल कनेक्शन मिलना शेष है.

25.12.2019 को जारी प्रचालन दिशानिर्देशों द्वारा मजबूत सहकारी और सहयोगी संघीय सिद्धांतों के आधार पर इस फ्लैगशिप योजना के कार्यान्वयन का खाका तैयार किया गया है. यह दस्तावेज महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए योजना और कार्यान्वयन, संस्थागत तंत्र, वित्तीय योजना और वित्त पोषण, प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप / नवाचार, निगरानी और मूल्यांकन आदि के लिए रणनीति तैयार करता है. जल जीवन मिशन के तहत कार्यान्वित योजनाओं में सतत स्रोत सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार की मौजूदा योजनाओं जैसे मनरेगा और इसी तरह के उद्देश्यों के साथ केंद्र या राज्य की योजनाओं के साथ जल संरक्षण / भूजल पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए मिल कर कार्य किया जाएगा. जल जीवन मिशन निम्नलिखित 8 घटकों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए गाँव के पाइप से जलापूर्ति की बुनियादी सुविधाओं का विकास
- पानी की आपूर्ति प्रणाली को दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करने के लिए विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास और / या मौजूदा स्रोतों का संवर्द्धन
- जहां भी आवश्यक हो, हर ग्रामीण घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विस्तृत जल अंतरण, जल शोधन संयंत्र और वितरण नेटवर्क
- जहां भी पानी की गुणवत्ता एक समस्या है वहां दूषित पदार्थों को हटाने के लिए तकनीकी उपाय .
- 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के न्यूनतम सेवा स्तर पर एफ एच टी सी प्रदान करने के लिए पूर्ण हो चुकीं और चल रही योजनाओं की रेट्रोफ़िटिंग
- ग्रेवॉटर प्रबंधन
- सहयोगी गतिविधियाँ, अर्थात् आई ई सी , एच आर डी , प्रशिक्षण, उपयोगिताओं का विकास, जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएँ, जल गुणवत्ता परीक्षण और निगरानी, अनुसंधान एवं विकास , ज्ञान केंद्र, समुदायों की क्षमता का निर्माण, आदि; तथा
- प्राकृतिक आपदाओं / विपत्तियों के कारण उभरने वाली कोई अन्य अप्रत्याशित चुनौतियां / समस्याएँ जो फ्लेक्सी फंड्स पर वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार 2024 तक प्रत्येक घर के लिए एफएचटीसी के लक्ष्य को प्रभावित करते हैं

लूहरी स्टेज - I और धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना के लिए शिमला में ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह

माननीय केंद्रीय गृहमंत्री, श्री अमित शाह द्वारा 27.12.2019 को शिमला में हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल, श्री बंडारू दत्तात्रेय और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में 210 मेगावाट लूहरी स्टेज - I जलविद्युत परियोजना एवं 66 मेगावाट धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की अध्यक्षता की गई.

210 मेगावाट लूहरी स्टेज - I जलविद्युत परियोजना कुल्लू और शिमला जिलों में सतलज नदी पर स्थित है, जबकि 66 मेगावाट धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में ब्यास नदी पर स्थित है. पूर्ण होने पर, 210 मेगावाट लुहरी स्टेज - I जलविद्युत परियोजना सालाना 758 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगी, जबकि 66 मेगावाट धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना में सालाना 247 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की क्षमता होगी.

ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. , जल शक्ति मंत्रालय की सलाहकार समिति की 143 वीं बैठक

ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. , जल शक्ति मंत्रालय की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं पर सलाहकार समिति की 143 वीं बैठक दिनांक 09.12.2019 को सचिव, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. की अध्यक्षता में हुई.

इस बैठक में कुल 10 योजनाएँ जिसमें हिमाचल प्रदेश की रेणुका राष्ट्रीय परियोजना, महाराष्ट्र की 3 सिंचाई परियोजनाएं, 5 बाढ़ सुरक्षा / कटावरोधी योजनाएं (बिहार से 2, हिमाचल प्रदेश से 2 और जम्मू-कश्मीर से 1) और कर्नाटक की 1 तटीय संरक्षण योजना सम्मिलित हैं को तकनीकी-आर्थिक रूप से स्वीकार किया गया. इन योजनाओं की कुल अनुमानित लागत रु. 14688 करोड़ है. योजनाओं का विवरण तालिका में निम्नानुसार दिया गया है.

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना का प्रकार	परियोजना की लागत (रु. करोड़ में)	लाभ
1	रेणुकाजी बांध परियोजना	हिमाचल प्रदेश	बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना	6946.99 (मूल्य स्तर –अक्तूबर, 2018)	पेयजल परियोजना. 9 महीनों (सितंबर से जून तक) के दौरान 23 घन मी/ सेकंड स्थायी जल आपूर्ति और 40 मेगावाट की विद्युत उत्पादन
2	गिरना नदी पर श्रृंखला में सात वायवीय रूप से संचालित गेट युक्त वीयर	महाराष्ट्र	मध्यम सिंचाई	781.32 (मूल्य स्तर -2017-18)	सीसीए-5540 हेक्टेयर
3	शेलगाव बैराज मध्यम सिंचाई परियोजना, संशोधित लागत अनुमान (RCE)	महाराष्ट्र	मध्यम सिंचाई, आरसीई	961.11 (मूल्य स्तर -2017-18)	सीसीए - 9589 हेक्टेयर
4	बोदवड परिसर सिंचन योजना	महाराष्ट्र	वृहद सिंचाई, आरसीई	3763.60 (मूल्य स्तर - 2017-18)	सीसीए - 53025 हेक्टेयर
5	नेकर खड्ड और उसकी सहायक नदियों पर रेंट से सौर कलान पुल तक बाढ़ सुरक्षा / स्थिरीकरण कार्य	हिमाचल प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	231.02 (मूल्य स्तर –दिसंबर 2018)	लाभान्वित क्षेत्र - 274 हेक्टेयर लाभान्वित जनसंख्या - 3678
6	"धरमपुर निर्वाचन क्षेत्र, जिला मंडी (HP) में सक्रीन , मालथोड, थोथू, डोल और समौर खड्ड के लिए बाढ़ सुरक्षा /कटाव रोधी कार्य	हिमाचल प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	145.73 (मूल्य स्तर –जून , 2019)	लाभान्वित क्षेत्र - 300 हेक्टेयर लाभान्वित जनसंख्या - 3289
7	केवला गाँव से बाघमारा गाँव तक गंगा नदी के बाएं किनारे के 5200 मीटर की लंबाई में संरक्षण कार्य के लिए संशोधित डीपीआर	बिहार	बाढ़ नियंत्रण	105.60 (मूल्य स्तर -2017)	लाभान्वित क्षेत्र - 55000 हेक्टेयर लाभान्वित जनसंख्या - 60000
8	पीपी तटबंध के 0.00 किमी से 35.00 किमी के बीच जीएच तटबंध तक कटाव रोधी कार्य	बिहार	बाढ़ नियंत्रण	44.53 (मूल्य स्तर -2017)	लाभान्वित क्षेत्र - 4,20,000 हेक्टेयर लाभान्वित जनसंख्या - 2,20,000
9	झेलम और उसकी सहायक नदियों पर व्यापक बाढ़ प्रबंधन योजना चरण- II (भाग ए)	जम्मू और कश्मीर	बाढ़ नियंत्रण	1623.43 (मूल्य स्तर –सितंबर - 2019)	लाभान्वित क्षेत्र - 280000 हेक्टेयर लाभान्वित जनसंख्या - 906091
10	सोमेश्वरा, मैंगलोर तालुक, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक में तटीय सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन	कर्नाटक	तटीय संरक्षण बाह्य वित्त पोषित परियोजना (ADB) सतत तटीय संरक्षण और प्रबंधन निवेश कार्यक्रम (SCPMIP) ट्रांच II कर्नाटक के तहत	84.87 (मूल्य स्तर -2016-17)	संरक्षण उपाय की लंबाई- 3 किमी

पोलावरम सिंचाई परियोजना पर विशेषज्ञ समिति का 5वां दौरा

पोलावरम सिंचाई परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना), आंध्र प्रदेश के कार्यान्वयन का अवलोकन करने के लिए सदस्य (डब्ल्यू पी एंड पी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति का 5वां दौरा 27 से 31 दिसंबर 2019 के दौरान हुआ.

समिति ने कनिथी बैलेंसिंग जलाशय (विजाग स्टील प्लांट के लिए पानी का स्रोत) से अपना दौरा शुरू किया और बायीं मुख्य नहर, 138.075 आरडी पर स्थित वराह एक्वाडक्ट , बायीं मुख्य नहर –राष्ट्रीय राजमार्ग क्रॉसिंग, येल्लुरु सीडी वर्क्स, स्पिलवे, एप्रोच चैनल, स्पिल चैनल, पायलट चैनल, गैप- II और गैप- III, ईसीआरएफ डैम के लिए डायाफ्राम वॉल, गैप- II के लिए कॉफ़र डैम , रेडियल गेट के फैब्रिकेशन यार्ड, बायीं तरफ की कनेक्टिविटी, पुनर्वास और पुनर्स्थापन गांव अर्थात् इंदुकुरु-I (306 विस्थापित परिवारों के लिए) आदि का निरीक्षण किया . इसके बाद अंतिम दिन विशेषज्ञ समिति के सभी सदस्यों और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच एक समापन मीटिंग हुई .

वर्ष 2019 के दौरान बाढ़ पूर्वानुमान

केंद्रीय जल आयोग अपने क्षेत्रीय डिविजन के माध्यम से हर साल बाढ़ के मौसम के दौरान वास्तविक समय के आधार पर हाइड्रो-मौसम संबंधी आंकड़े एकत्रित करता है. इस डेटा का उपयोग करते हुए, बाढ़ / इनफ़्लो पूर्वानुमान 325 स्थानों (197 स्तर और 128 इन्फ्लो पूर्वानुमान स्टेशनों) के लिए तैयार किए जाते हैं और फैक्स / ई-मेल / एसएमएस और वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों को प्रसारित किए जाते हैं.

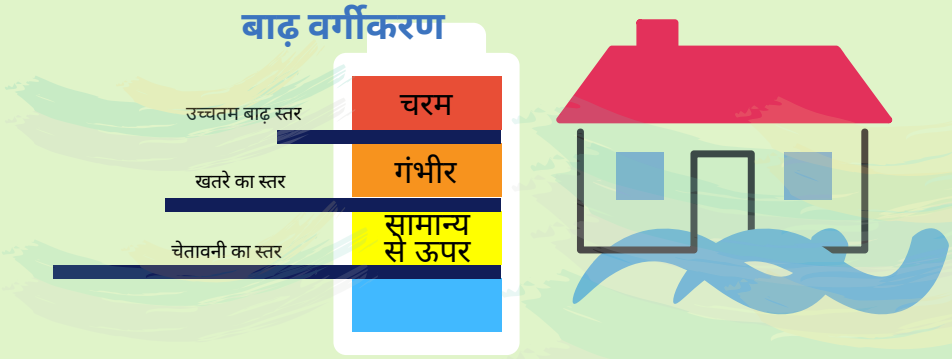

बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि 01.05.2019 को शुरू हुई और 31.12.2019 को समाप्त हुई. 2019 के दौरान, स्टेशनों की संख्या में वृद्धि और भारी वर्षा के कारण, जारी किए गए बाढ़ के पूर्वानुमानों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में अधिक थी. पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए वर्ष-वार स्तर / प्रवाह पूर्वानुमान को बगल की तालिका में संक्षेपित किया गया है.

वर्ष	स्तर		इनफ़्लो		कुल	
	स्टेशनों की सं०	पूर्वानुमान की सं०	स्टेशनों की सं०	पूर्वानुमान की सं०	स्टेशनों की सं०	पूर्वानुमान की सं०
2017	166	5085	60	1212	226	6297
2018	174	4969	75	1882	249	6851
2019	197	6004	128	3750	325	9754

चरम बाढ़ की स्थिति

मानसून की भारी वर्षा के कारण, के.ज.आ. के 37 एचओ/बाढ़ पूर्वानुमान स्थलों पर उच्चतम बाढ़ स्तर देखा गया. उच्चतम बाढ़ स्तर (HFL) को पार करने का माह-वार सारांश (जिसे एफएफ साइट्स के लिए चरम बाढ़ स्थिति के रूप में भी जाना जाता है) नीचे दी गई तालिका में दिया गया है.

गंभीर बाढ़ की स्थिति

अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, दिल्ली, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात में के.ज.आ. के 96 एफएफ स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई.

माह	एचओ/एफ़एफ़ स्टेशन
मई	0
जून	0
जुलाई	6
अगस्त	25
सितंबर	4
अक्टूबर	1
नवंबर	1*
दिसंबर	(* वही स्टेशन)
कुल	37

सामान्य से ऊपर बाढ़ की स्थिति

असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, केरल, तेलंगाना, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में के.ज.आ. के 52 स्टेशनों पर सामान्य से ऊपर बाढ़ की स्थिति देखी गयी.

इनफ़्लो पूर्वानुमान

75 जलाशयों और बांधों के लिए इनफ़्लो पूर्वानुमान जारी किए गए.

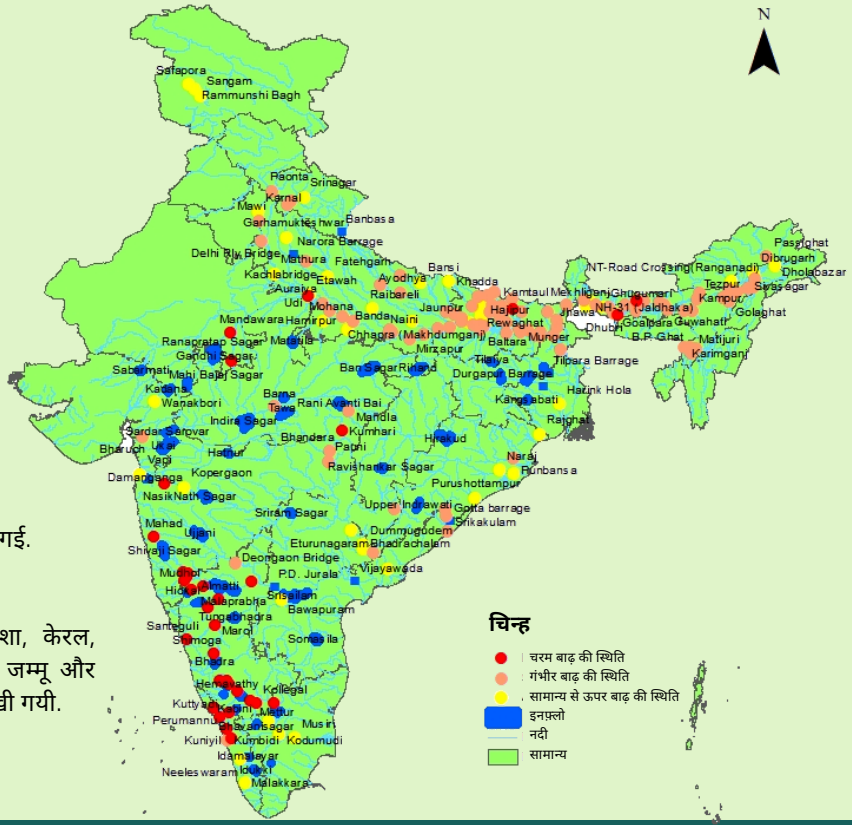

झेलम और उसकी सहायक नदियों पर बाढ़ प्रबंधन कार्य

दिनांक 09.12.2019 को आयोजित ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. की सलाहकार समिति की 143 वीं बैठक में "झेलम और उसकी सहायक नदियों पर व्यापक बाढ़ प्रबंधन कार्य-चरण- II- भाग-ए" पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जिसकी अनुमानित लागत रू 1623.43 करोड़ है को स्वीकार किया गया है.

फ्लड स्पिल चैनल का पुन: सेक्शनिंग

इस योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्य अर्थात चैनलों की पुन: सेक्शनिंग, तट की सुरक्षा का काम जैसे रिवेटमेंट, रिटेनिंग वॉल, गेबियन और बाढ़ प्रबंधन के कार्य जैसे तटबंधों को बढ़ाने और मजबूत करने का कार्य प्रस्तावित है. यह परियोजना अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, बांदीपोरा, बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में स्थित है. इस योजना के कार्यान्वयन से नौ लाख से अधिक आबादी वाले 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ होगा.

कर्नाटक में तटीय संरक्षण कार्य - तटीय संरक्षण का वैकल्पिक तरीका

1990 के दशक की शुरुआत में धन की कमी के कारण समुद्री कटाव रोधी कार्यों को शुरू करने में राज्य सरकारें / केंद्र शासित क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष, के.ज.आ. की अगुवाई में पूर्ववर्ती समुद्र तट कटाव बोर्ड (अब परिवर्तित नाम तटीय संरक्षण और विकास सलाहकार समिति) ने समुद्री राज्यों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने राज्यों में समुद्री कटाव से कमजोर तटीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए प्रस्ताव तैयार करें और केंद्रीय जल आयोग को प्रस्ताव भेजें जो राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर बाह्य सहायता के लिए एक समेकित राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना (NCPP) का समन्वय और प्रस्ताव तैयार करेगा.

इसके अलावा, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के बीच चर्चा के परिणामस्वरूप, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा राज्यों के लिए एक सतत तटीय संरक्षण और प्रबंधन परियोजना तैयार करने के लिए एक परियोजना निर्माण तकनीकी सहायता (पीपीटीए) कार्यक्रम बनाया गया था. पीपीटीए के तहत 25 करोड़ अमरीकी डालर के एडीबी ऋण सहित 40.46 करोड़ अमरीकी डालर (संशोधित) की अनुमानित लागत वाले निवेश कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी.

मंत्रालय की सलाहकार समिति की स्वीकृति के बाद, कर्नाटक में उल्लाल तटीय कटाव एवं इनलेट सुधार परियोजना और महाराष्ट्र में मिर्या खाड़ी तटीय कटाव और संरक्षण परियोजना को सतत तटीय संरक्षण और प्रबंधन निवेश कार्यक्रम (एससीपीएमआईपी) के तहत एडीबी से ऋण के पहले ट्रांच के तहत कार्यान्वित किया गया.

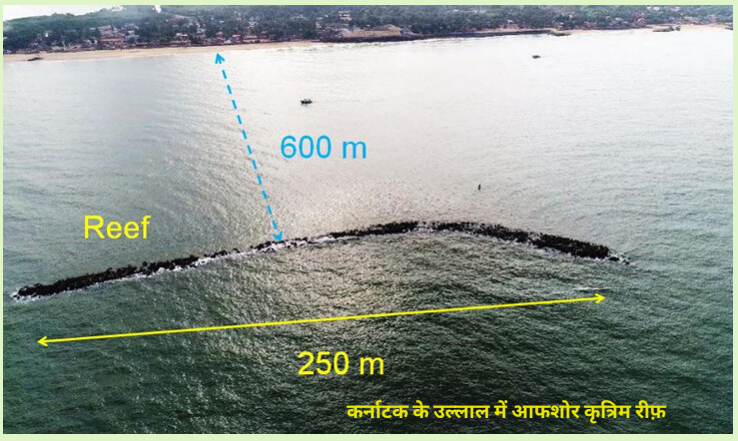

कर्नाटक के उल्लाल में आफशोर कृत्रिम रीफ़

उल्लाल तटीय संरक्षण परियोजना में संयुक्त समाधान प्रस्तावित किया गया था जिसमें आफशोर कृत्रिम रीफ़ , समुद्र तट पोषण, ग्रोइन और ब्रेकवाटर पुनर्वास शामिल थे. तटीय कटाव से बचाव के लिए उल्लाल परियोजना के तहत बनाई गई संरचनाएं भारत में सबसे बड़े पैमाने पर बनाई गयी कृत्रिम रीफ़ हैं जिनसे अतिरिक्त लाभ भी मिलता है. यह केवल समुद्री दीवाल, ग्रोइन आदि जैसी संरचनाओं के माध्यम से समुद्र तट की रक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण अंतर था .

इसके अलावा, उपरोक्त कार्यक्रम में भाग लेने वाले राज्यों में तटीय संरक्षण और प्रबंधन में भारतीय संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया गया है, जैसे कि:

- तटरेखा प्रबंधन योजना का विकास
- तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास
- संस्थागत बदलाव और क्षमता निर्माण
- पर्यावरण परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में विचार

उपरोक्त को आगे बढ़ाते हुए कर्नाटक की राज्य सरकार ट्रेन्च -2 ऋण के तहत कई उप-परियोजनाएं चला रही है. इन उप-परियोजनाओं में से एक कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के सोमेश्वर में तटीय संरक्षण से संबंधित है. प्रस्तावित समाधान में 10 ग्रोइन के साथ दो आफशोर रीफ़ का निर्माण और समुद्र तट पोषण सम्मिलित है. प्रत्येक रीफ 200 मीटर लंबी, तट से 600 मीटर दूर और 6.3 मीटर (चार्ट डेटम के सापेक्ष) पानी की गहराई में बनाई जाएगी. तटीय क्षरण के समाधान के लिए जलवायु परिवर्तन के पहलुओं तथा सतत और पर्यावरण के अनुकूल साफ्ट और हार्ड संयुक्त समाधानों/उपायों पर विचार करते हुए, परियोजना को पर्यावरण रेसिलिएंट तटीय संरक्षण एवं प्रबंधन परियोजना (CRCMPM) के तहत प्रकाशित संदर्भ नियमावली के अनुसार नियोजित किया गया है.

परियोजना अधिकारियों द्वारा उपरोक्त उप-परियोजना प्रस्ताव ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. की सलाहकार समिति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया था. 12-15 दिसंबर 2019 के दौरान एस.के. हलदार, सदस्य (डब्ल्यू॰पी॰ & पी) की अगुवाई में के.ज.आ. के अधिकारियों के एक दल ने परियोजना स्थल का दौरा किया. इस उप-परियोजना को दिसंबर, 2019 में मंत्रालय की सलाहकार समिति की 143 वीं बैठक में स्वीकार किया गया.

अध्यक्ष, के.ज.आ. का उत्तराखंड दौरा

अध्यक्ष, के.ज.आ. ने मुख्य अभियंता, यूजीबीओ, के.ज.आ., लखनऊ और अन्य अधिकारियों के साथ 14-15 दिसंबर 2019 के दौरान यूजीबीओ के तहत विभिन्न प्रेक्षण स्थल जैसे हरिद्वार, सत्यनारायण, ऋषिकेश और रुड़की और वाईबीओ के तहत पोंटा साहिब का निरीक्षण किया. उपरोक्त के अलावा, अध्यक्ष, के.ज.आ. ने देहरादून में पशुलोक बैराज, ऋषिकेश, डाकपत्थर बैराज और आसन बैराज के लिए बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) के अधिकारियों के साथ बातचीत की. डीआरआईपी के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए हैं.

आसन बैराज

जलाशय का डी-सिल्टेशन, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पर सुरक्षा कार्य, क्षतिग्रस्त पावर चैनल की विशेष मरम्मत, पियर्स और बैराज फ्लोर के कटे हुए हिस्से की मरम्मत, गाद इजेक्टर चैनल की मरम्मत, कंक्रीट कैनवस बिछाना और कुल्हाल बिजली घर में इंटेक की मरम्मत, बैराज नियंत्रण और निगरानी प्रणाली का स्वचालन,एचएम प्रणाली की ओवरहालिंग और मरम्मत.

डाकपत्थर बैराज

ग्लेसिस , पियर्स / एबुटमेंट पर दरारों की विशेष मरम्मत, पावर चैनल की क्षतिग्रस्त पैनलों की मरम्मत, टी॰ आर॰ सी॰ एम॰ का डिजाइन विनिर्माण एवं स्थापना, बैराज नियंत्रण और निगरानी प्रणाली का स्वचालन.

वीरभद्र बैराज ऋषिकेश

सिविल संरचनाओं की मरम्मत और बहाली, क्षतिग्रस्त अस्तर की मरम्मत, ग्लेसिस की मरम्मत. बैराज फाटकों का मरम्मत और रखरखाव, स्लुइस गेट नं॰ 1 का निर्माण एवं स्थापना और स्टॉप लॉग गेट के एक सेट का डिज़ाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और परिचालन.

श्री आर के जैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. और श्री भोपाल सिंह, मुख्य अभियंता, यूजीबीओ, के.ज.आ., लखनऊ के.ज.आ. के प्रेक्षण स्थल ऋषिकेश पर

आसन बैराज में एक कचरा हटाने वाला मशीन ने क्लोगिंग के कारण प्लांट के बंद होने को कम करने में मदद की है. के.ज.आ.टीम के निरीक्षण के दौरान इसका प्रदर्शन किया गया.

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (ड्रिप)

त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो समीक्षा बैठक

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करने के लिए त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो समीक्षा बैठक 05.12.2019 को भोपाल में आयोजित की गई थी. इस बैठक में देश में चल रही विभिन्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अधिकारियों ने भाग लिया. ड्रिप टीम ने भी बैठक में भाग लिया जिसमें ड्रिप की प्रगति के बारे में विचार-विमर्श किया गया था. चूंकि ड्रिप जून 2020 तक पूरी की जानी है , इसलिए डीईए और वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक समय पर पूरा करने के लिए शेष गतिविधियों में गति लाने की सिफारिश की.

त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो समीक्षा बैठक

भूकंपीय खतरा आकलन सूचना प्रणाली (एस एच ए आई एस वाई एस)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के भूकंप इंजीनियरिंग विभाग, द्वारा किए जा रहे दक्षिण भारत के भूकंपीय खतरे के आकलन की समीक्षा और सत्यापन करने के लिए दिनांक 12.12.2019 को अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई. बैठक के दौरान उठाए गए बिंदुओं के आधार पर, आईआईटी रुड़की ने दक्षिण भारत के लिए भूकंपीय खतरे के नक्शे को संशोधित करने पर सहमति व्यक्त की. केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला जो उत्तर भारत के भूकंपीय खतरा मानचित्रण पर काम कर रहा है, दोनों मानचित्रों को भूकंपीय खतरा मूल्यांकन सूचना प्रणाली (SHAISYS) विकसित करने के लिए एकीकृत करेगा, जिसका उपयोग बांधों और उनके पुनर्वास को डिजाइन करते समय उस स्थान पर भूकंपीयता का ख्याल रखने के लिए किया जाएगा.

एस एच ए आई एस वाई एस के लिए समीक्षा बैठक

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

आईसी–आईएमपीएसीटीएस (भारत-कनाडा सेंटर फॉर इनोवेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टिसिपेंट्स टू एक्सेलर्ट कम्युनिटी ट्रांसफ़ॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी) के दिल्ली कार्यालय के अधिकारीगण, ड्रिप और आईसी-आईएमपीएसीटीएस के बीच सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 10.12.2019 को ड्रिप कार्यालय पहुँचे. आईसी-आईएमपीएसीटीएस कनाडा और भारत के बीच अनुसंधान सहयोग के विकास के लिए समर्पित एक नए केंद्र के रूप में, कनाडा-भारत उत्कृष्टता केंद्र (एनसीई) के माध्यम से स्थापित पहला और एकमात्र, कनाडा और भारत अनुसंधान केंद्र है.

आईसी–आईएमपीएसीटीएस के साथ बैठक

प्रोजेक्ट का दौरा

16-17 दिसंबर 2019 के दौरान बांध पुनर्वास रिपोर्ट की तैयारी के लिए चल रहे ड्रिप पुनर्वास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए पेरियार घाटी सिंचाई परियोजना, इडुक्की बांध, मलमपुझा बांध और मूलाथारा बांध का दौरा किया गया.

मूलाथारा परियोजना

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ज॰सं॰वि॰, झारखंड सरकार के॰ज॰आ॰ और झारखंड के अधिकारियों के साथ

ड्रिप-II और III के लिए परामर्श और मूल्यांकन बैठक

ड्रिप चरण II और चरण III के लिए प्रारंभिक गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करने और इस मामले में किसी भी आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए गोवा ज॰सं॰वि॰ और झारखंड ज॰सं॰वि॰ के साथ परामर्श और मूल्यांकन बैठकें क्रमशः 18.12.2019 और 27.12.2019 को आयोजित की गईं. विश्व बैंक के प्रतिनिधि के साथ के॰ज॰आ॰ के अधिकारी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे.

के.ज.आ. के प्रकाशनों का विमोचन

श्री यू.पी. सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. ने आयोजना एवं विकास संगठन, के.ज.आ. द्वारा तैयार दो प्रकाशनों को 09.12.2019 को अध्यक्ष, के.ज.आ. और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में विमोचित किया.

1. भारतीय नदियों में ट्रेस और जहरीली धातुओं की स्थिति
2. नदी जल मे घुलित आक्सीजन के स्तर पर समय और तापमान का प्रभाव

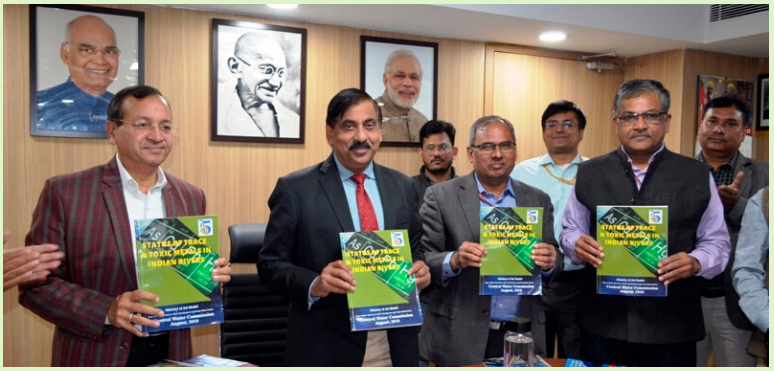

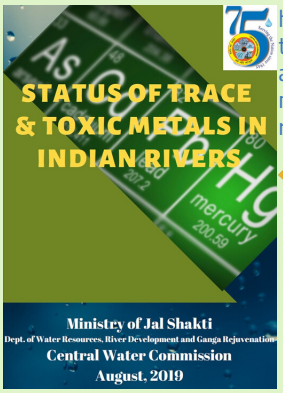

http://cwc.gov.in/sites/default/files/status-trace-toxic-metals-indian-rivers-2019-2.pdf

http://cwc.gov.in/sites/default/files/effect-time-and-temperature-do-levels-river-water-2019.pdf

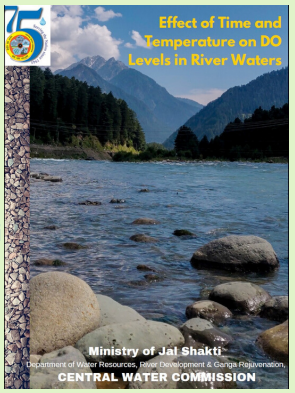

भारतीय नदियों में ट्रेस और जहरीली धातुओं की स्थिति

भारतीय नदियों में ट्रेस और जहरीली धातुओं की स्थिति के संशोधित और व्यापक तीसरे संस्करण में आठ तत्वों अर्थात आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, लेड, निकल और जिंक का मई 2014 से अप्रैल 2018 तक की अवधि के लिए डेटा शामिल है. भारी धातु तत्वों का घनत्व समान तापमान और दबाव पर पानी के विशिष्ट घनत्व का कम से कम चार से पांच गुना होता है. धातु संदूषण पर्यावरण, राजनीतिक और चिकित्सा निहितार्थ वाला एक वैश्विक मुद्दा है. भारी धातुएं विषाक्त, कैंसरकारी और जीवों में संचयित होती हैं जो मनुष्यों ,वनस्पतियों और जीवों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालती हैं. उपरोक्त अध्ययन के लिए, भारत में प्रमुख नदी घाटियों में फैले 424 जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों से नदी के पानी के 2959 नमूनों को तीन अलग-अलग मौसमों, मानसून, गर्मियों और सर्दियों में एकत्र किया गया और राष्ट्रीय नदी जल गुणवत्ता प्रयोगशाला, के.ज.आ., नई दिल्ली में विश्लेषण किया गया. परिणाम बताते हैं कि 137 स्टेशनों पर एकत्रित पानी के नमूने बीआईएस: 10500-2012 के अनुसार निर्धारित सीमा के भीतर पाए गए. 101 स्टेशनों पर दो या अधिक विषाक्त धातुओं की उपस्थिति निर्धारित सीमा से परे थी. 156 स्टेशनों पर लोहे की सांद्रता, निर्धारित सीमा (0.3 मिलीग्राम/ली.) से अधिक थी. इसी प्रकार, कैडमियम की उपस्थिति के कारण तीन स्टेशनों पर, क्रोमियम की उपस्थिति के कारण छह स्टेशनों पर, नौ स्टेशनों पर निकेल की उपस्थिति के कारण और बारह स्टेशनों पर सीसे की स्वीकार्य सीमा से ऊपर के नमूने पाये गए. यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि अध्ययन अवधि के दौरान आर्सेनिक और जिंक की सांद्रता, निर्धारित सीमा के भीतर पायी गयी.

नदी जल मे घुलित आक्सीजन के स्तर पर समय और तापमान का प्रभाव

एक जल निकाय में घुलित आक्सीजन (डीओ) सांद्रता उस प्रणाली में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं की गतिशीलता के कारण थोड़े समय के भीतर काफी हद तक घट बढ़ सकती है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, जल निकाय में ऑक्सीजन जोड़ता है, जबकि श्वसन और कार्बनिक पदार्थ का क्षरण पदार्थ ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं. वायु संचारण डीओ संतृप्ति स्तर के आधार पर पानी से डीओ को कम या बढ़ा सकता है. पानी का तापमान एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो पानी में घुलित ऑक्सीजन को प्रभावित कर सकता है क्योंकि यह पानी की अधिकतम ऑक्सीजन धारण क्षमता पर प्रभाव डालता है, और जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं और परिवर्तन प्रक्रियाओं की दरों पर भी सीधा प्रभाव डालता है. कई चर्चाओं में, समय और मौसम के साथ नदियों में डीओ की विविधता और रात के समय इसकी कमी के बारे में चिंताएं व्यक्त की गईं. यह भी कहा गया कि ऐसी स्थितियों में जलीय जीवन तनाव में आता है. उपरोक्त आशंकाओं का निराकरण करने के लिए, के.ज.आ. ने चयनित स्थानों पर विभिन्न मौसमों में अलग-अलग जलवायु स्थितियां और मानवजनित गतिविधियों वाले भारत के प्रमुख नदियों में 19 जल गुणवत्ता स्टेशनों पर नदी के पानी के लिए कम से कम एक सप्ताह के लिए हर 3 घंटे पर डीओ की निगरानी के लिए एक अध्ययन किया.प्राप्त परिणामों से पता चलता है कि लगभग सभी 19 जल गुणवत्ता स्टेशनों पर डीओ और पानी के तापमान में बहुत अधिक बदलाव प्रदर्शित किए हैं. 11 जल गुणवत्ता स्टेशन (पांडु, राममंगलम, विक्रम चौक, फूलगांव, सतरापुर, जेनापुर, खानपुर, गरुड़ेश्वर, कोटेश्वर, वाराणसी और पोंटा) पर सभी वर्गों के पानी के लिए, 4 जल गुणवत्ता स्टेशन (थुगुडी, मन्त्रालयम, गांधीघाट और होशंगाबाद) बी, सी और डी वर्गों के पानी के लिए, 1 जल गुणवत्ता स्टेशन यानी अंबरमपालयम पर सी एवं डी वर्ग के पानी के लिए डीओ निर्धारित सीमा के भीतर पाया गया. 2 जल गुणवत्ता स्टेशन (टी. बेकुप्पे और आगरा (P.G)) पर डीओ सीपीसीबी द्वारा निर्दिष्ट सर्वोत्तम उपयोग के लिए जल गुणवत्ता मानदंड के अनुसार सभी वर्गों के लिए निर्धारित सीमा से नीचे पाया गया. दिल्ली रेलवे ब्रिज जल गुणवत्ता स्टेशन पर, तापमान में भिन्नता के बावजूद, 14.01.2019 से 16.01.2019 के दौरान डीओ स्तर शून्य था. मुख्य रूप से डीओ में भिन्नता सूर्य के प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण, शैवाल और जलीय पौधों की श्वसन और पानी के तापमान के कारण होती है. फिर भी, प्रकाश संश्लेषण पानी के तापमान की तुलना में डीओ मे अधिक बदलाव का कारण बनता है.

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना

के.ज.आ. विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है. परियोजना के तहत, के.ज.आ. ने कावेरी, नर्मदा और यमुना बेसिन में बेसिन-वार विस्तारित हाइड्रोलॉजिकल पूर्वानुमान (मल्टीवीक पूर्वानुमान) की परामर्श सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली आमंत्रित की है. तीन इंटरनेशनल कंपनी मेसर्स रिसर्च ट्रायंगल इंस्टीट्यूट (आरटीआई) इंटरनेशनल, मेसर्स हस्किंग डीएचवी, नीदरलैंड एवं डीएचआई (इंडिया) वाटर एंड एनवायरनमेंट प्रा. लिमिटेड ने बोली में भाग लिया है. बोली को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

के.ज.आ. ने असम को छोड़कर उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की ओर से आरटीडीएएस स्टेशनों (119 एआरजी, 159 एडबल्यूएलआर, 37 एडबल्यूएस, 9 स्नो गेज) के लिए रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम (RTDAS) की और नर्मदा बेसिन में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के लिए (48 एआरजी , 27 एडबल्यूएलआर , 5 वेलोसिटी रडार, 6 एडबल्यूएस, 9 गेट सेंसर) की खरीद भी शुरू की है. इसके अलावा, के.ज.आ. ने 7 नदी बेसिन अर्थात रामगंगा, बराक, नर्मदा, कावेरी , पश्चिम में बहने वाली पश्चिमी घाट की तीन नदियों कुट्टीदीपुझा, पीची और मंगलम में सेडिमेंट रेट और सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन के आकलन के लिए भौतिक आधारित गणितीय मॉडलिंग की कंसल्टेंसी सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली आमंत्रित की है.

एनएचपी के तहत के.ज.आ. साइट मोहना में तकनीकी ऑडिट

परियोजना प्रबोधन

वर्ष 2019-20 के दौरान, पीएमकेएसवाई के तहत चल रही परियोजनाओं के लिए राज्यों को रु.138403.3 लाख की केंद्रीय सहायता (सीए) स्वीकृत की गई है. दिसंबर, 2019 के दौरान रु. 47,114.30 लाख रुपये की सीए को मंजूर किया गया है. 2019-20 के दौरान, जनरल मॉनिटरिंग के तहत कुल 47 (20 मेजर और 27 मीडियम) प्रोजेक्ट एवं पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत 149 (73 मेजर, 55 मीडियम और 21 ईआरएम) के.ज.आ. फील्ड यूनिट्स द्वारा लक्षित हैं. 2019-20 (दिसंबर, 2019 तक) के दौरान, सामान्य निगरानी के तहत परियोजनाओं के संबंध में 01 निगरानी दौरा किया गया. इसी तरह, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत परियोजनाओं के लिए 50 दौरे किए गए और 34 स्थिति रिपोर्टें (दिसंबर, 2019 तक) जारी की गईं. भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियोइनफोमैटिक्स (बीआईएसएजी) ने अपने स्वयं के संसाधनों से मंत्रालय के लिए परियोजनाओं की निगरानी के लिए जीआईएस आधारित एप्लिकेशन बनाने पर सहमति व्यक्त की है.

जल क्षेत्र समाचार में

- बाढ़—तूफान के सबसे खतरे वाले देशों में भारत पांचवें नंबर पर (हिन्दुस्तान, 05.12.2019
- अगले साल तक 21 शहरों में भूजल खत्म होने की आशंका (पंजाब केसरी, 10.12.2019)
- क्लाइमेट चेंज ने सुखा दिया दुनिया का सबसे चौड़ा वॉटरफॉल (नवभारत टाईम्स, 10.12.2019)
- 21 शहरों में जल संकट जैसी कोई बात नहीं : केंद्र सरकार ((जनसत्ता, 10.12.2019)
- राजस्थान में बढ़ रहा भूमिगत जल (राजस्थान पत्रिका, 11.12.2019)
- कानपुर में गंगा अब आचमन योग्य : योगी (दैनिक जागरण, 13.12.2019)
- गंगा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दान किए 16.53 करोड़ रुपए (राजस्थान पत्रिका, 15.12.2019)
- केंद्र ने महादयी नदी बांध की अनुमति वापस ली (राष्ट्रीय सहारा, 19.12.2019)
- पीआरएल की शोध में मिले सरस्वती नदी की मौजूदगी के प्रमाण (राजस्थान पत्रिका, 19.12.2019)
- असम की नदियों में 962 और उप्र में 1,275 हैं गंगा डॉल्फिन (दैनिक जागरण, 25.12.2019)

हाइड्रो-2019

इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइड्रालिक्स (ISH) के तत्वावधान में 18-20 दिसंबर 2019 के दौरान "जल इंजीनियरी विज्ञान, जल संसाधन और तटीय इंजीनियरिंग" पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हाइड्रो-2019 आयोजित किया गया. हाइड्रो 2019 का आयोजन सिविल इंजीनियरिंग विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद द्वारा किया गया. हैदराबाद स्थित केंद्रीय जल आयोग की कृष्णा और गोदावरी बेसिन संगठन क्षेत्र इकाई ने सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें जलीय पर्यावरण, भूजल जल विज्ञान, बंदरगाह और तटीय इंजीनियरिंग, जल प्रबंधन और जल सूचना विज्ञान, नदी जल इंजीनियरी ,जलवायु परिवर्तन और चरम घटनाएँ, जल और अपशिष्ट जल मॉडलिंग, भू-स्थानिक तकनीक, साफ्ट कम्प्यूटिंग तकनीक और मॉडलिंग तकनीक जैसे विषयों के तहत 300 से अधिक पत्र प्रस्तुत किए गए थे.

आयोजन के दौरान, केजीबीओ के मुख्य अभियंता श्री डी. रंगा रेड्डी ने "जल प्रबंधन में रिवर बेसिन एप्रोच" पर कीनोट व्याख्यान दिया , श्री एम. रघुराम, अधीक्षण अभियंता, गोदावरी मण्डल, ने नदी जल इंजीनियरी और श्रीमती के. रेखा रानी, उप निदेशक, एम एंड ए (टीएस) ने सॉफ्ट कंप्यूटिंग तकनीकों पर सत्र की सह-अध्यक्षता की.

इतिहास- अंतरराज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण

ट्रिब्यूनल का नाम	संबन्धित राज्य	स्थापना	वर्तमान स्थिति
गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा	अप्रैल 1969	जुलाई 1980 में निर्णय दिया गया
कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण - I	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और कर्नाटक	अप्रैल 1969	मई 1976 में निर्णय दिया गया
नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण	राजस्थान , मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र	अक्टूबर 1969	निर्णय दिसंबर 1979 में दिया गया. निर्णय पर कार्यान्वयन के लिए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए) का गठन किया गया.
रावी एवं व्यास जल विवाद न्यायाधिकरण	पंजाब , हरियाणा और राजस्थान	अप्रैल 1986	रिपोर्ट और निर्णय अप्रैल 1987 में दिये गए. आईएसडब्ल्यूआरडी अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत रिपोर्ट लंबित है.
कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी	जून 1990	5.2.2007 को निर्णय दिया गया. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 16.02.2018 को निर्णय को थोड़ा संशोधित किया. इस संशोधित निर्णय के कार्यान्वयन के लिए सीडब्ल्यूएमए एवं सीडब्ल्यूआरसी का गठन किया गया.
कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण - II	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और कर्नाटक	अप्रैल 2004	रिपोर्ट और निर्णय 30.12.2010 को दिये गए. एसएलपी कोर्ट में लंबित है. संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के बाद न्यायाधिकरण का कार्यकाल बढ़ाया गया है. इसलिए मामला अभी न्यायाधिकरण के अधीन है.
वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण	आंध्र प्रदेश और उड़ीसा	फरवरी 2010	13.09.2017 को रिपोर्ट और निर्णय प्रस्तुत किया गया. धारा 5 (3) के तहत आगे की रिपोर्ट लंबित है.
महादेई जल विवाद न्यायाधिकरण	गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र	नवंबर 2010	14.08.2018 को रिपोर्ट और निर्णय प्रस्तुत किया गया. धारा 5 (3) के तहत आगे की रिपोर्ट लंबित है. बेसिन राज्यों ने अलग-अलग एसएलपी दायर किए हैं और गोवा राज्य ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक अवमानना याचिका दायर की है.
महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण	छत्तीसगढ़ और ओडिशा	मार्च 2018	मामला अभी न्यायाधिकरण के अधीन है. रिपोर्ट और निर्णय की प्रतीक्षा है.

दीर्घिका

राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए डॉ. मिहिर शाह की अध्यक्षता में समिति की बैठक जिसमें हितधारकों (एनजीओ, अकादमिक विशेषज्ञ, आदि) के साथ परामर्श की प्रक्रिया शामिल है.

सदस्य (नदी प्रबंध), के.ज.आ. , ने एमटीबीओ, के.ज.आ., गांधीनगर के कार्यों की समीक्षा की और 28.12.2019 से 02.01.2020 के दौरान छसारा (जीएंडडी), गुंगन (जीएंडडी) और ऊना (जीएंडडी) स्थलों का निरीक्षण किया. उन्होंने सचिव (जल संसाधन), गुजरात सरकार के साथ एक बैठक भी की और गुजरात सरकार और के.ज.आ. के बीच सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की

केन्द्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का
एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक - मंडल

- श्री अनुपम प्रसाद, मुख्य अभियंता (मा०स०प्र०)-मुख्य संपादक
- श्री अमरेंद्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता (ई०एम०ओ०)-सदस्य
- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता (पी०एम०ओ०)-सदस्य
- श्री एच एस सेंगर , निदेशक (नदी प्रबंध समन्वय)-सदस्य
- श्री एस के राजन, निदेशक (तकनीकी समन्वय)- सदस्य
- श्री प्रवीण कुमार, निदेशक (डब्ल्यू०एस०ई०)-सदस्य
- श्री पदमा दोर्जे ज्ञाम्बा, निदेशक (डब्ल्यू०पी०&पी० समन्वय) -सदस्य
- श्री चैतन्य के, उप निदेशक (आई०एस०एम०-2)-सदस्य
- श्री आर के शर्मा, उप निदेशक (डी०एंडआर०समन्वय)-सदस्य
- श्री शिव सुंदर सिंह, उप निदेशक (डब्ल्यू०एस०ई०)-सदस्य सचिव

अनुवादः श्री शशि कान्त तिवारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (डब्ल्यू०एस०ई०), के०ज०आ०, नई दिल्ली

अभिकल्प एवं प्रकाशन
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110 066
ई मेल: media-cwc@gov.in